पहली वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

टस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीनेडा का संयुक्त उद्यम)

(सीआईएनः यू 40106 यूपी 2020 जीओआई 134504

(12.09.2020 को निगमित)

श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के साथ टस्को लिमिटेड के अध्यक्ष की बैठक।
उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा पार्कों के विकास हेतु

निदेशक, यूपीनेडा के साथ टस्को लिमिटेड के अध्यक्ष की बैठक।

विषय-सूची

1. कारपोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 3
- संदर्भ सूचना 4
- अध्यक्ष का अभिभाषण 5
- निदेशकों के संदर्भ संक्षिप्त विवरण 7

2. निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21 और इसके अनुलग्नक

- वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना 10
- निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21 15
- फॉर्म नं. एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार 24

3. वित्तीय विवरण – 2020–21

- तुलन पत्र 30
- लाभ एवं हानि का विवरण 32
- नकदी प्रवाह विवरण 34
- लेखा संबंधी टिप्पणियां 37
- वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 66
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 75

कारपोरेट सिंहावलोकन

निदेशक मंडल

(दिनांक 03-09-2021 की स्थिति के अनुसार)

श्री आर. के. विश्नोई
अध्यक्ष

श्री जे. बेहेरा
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

श्री भवानी सिंह खंगरौत
नामित निदेशक
यूपीनेडा

संदर्भ सूचना

1. **पंजीकृत कार्यालय**

टसको लिमिटेड, चौथा तल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उत्तर प्रदेश), दूरभाष : 0522–4047922

2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)**

श्री शैलेन्द्र सिंह, संपर्क नम्बरः 9411110857, ई–मेलः ssingh@thdc.co.in

3. **मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

श्री के. के. श्रीवास्तव

संपर्क नम्बरः 9450932890, ई–मेलः kkstrivastava@thdc.co.in

4. **कंपनी सचिव (सीएस)**

श्री हिमांशु बाजपेयी

संपर्क नम्बरः 7985143022, ई–मेलः himanshubajpai@thdc.co.in

5. **सांविधिक लेखा परीक्षक**

श्री डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी

जीएफ 2, एकता अपार्टमेंट, 125, चंद्र लोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ–226024

संपर्क नम्बरः 9453039542, ई–मेलः casriharshshukla@gmail.com

6. **बैंकर्स**

पंजाब नेशनल बैंक

आरकेयू मंडी परिषद, विभूति खंड गोमती नगर, लखनऊ – 226010

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्य गण,

आपकी कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए, और वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं उन्हें पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

भारत सरकार (जीओआई) ने हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तरोत्तर घटती लागत, बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है।

अब तक, लगभग 96 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें लगभग 41 गीगावाट सौर, 39 गीगावाट पवन, 10 गीगावाट जैव–शक्ति और 5 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता शामिल है। इसके अलावा, 50.89 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और 29. 52 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के उपरोक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। अब तक, 8 मोड हैं जिनके तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) योजनाएं लागू की जाती हैं। मोड–8 के तहत, नामतः अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) को सीपीएसयू / राज्य पीएसयू / सरकारी संयुक्त उद्यम / उनकी सहायक कंपनियों द्वारा एसपीवी मोड के माध्यम से विकसित किया जाना है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने उत्तर प्रदेश राज्य में टस्को लिमिटेड को विकास के लिए 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क आबंटित किए हैं। तदोपरांत, इसे टस्को लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् टस्को लिमिटेड को 12.09.2020 को टस्को लिमिटेड और यूपीएनईडीए की क्रमशः 74% और 26% इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित किया गया है।

परियोजनाएं:

अक्टूबर, 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा ललितपुर और झांसी जिलों में 600 मेगावाट के दो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट क्षमता यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में कुल 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।

सोलर पार्क स्थापित करने के लिए जिला ललितपुर एवं झाँसी में क्रमशः 2798 एकड़ एवं 2944 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने चिन्हित भूमि के लिए लीज रेंट को भी अंतिम रूप दे दिया है। झांसी सोलर पार्क के लिए जून, 2021 में किसानों के साथ लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं, जबकि ललितपुर में जुलाई,

2021 में किसानों के साथ लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं।

झांसी और ललितपुर सोलर पार्कों की डीपीआर मार्च, 2021 में एसईसीआई और एमएनआरई दोनों को प्रस्तुत कर दी गई है। एसईसीआई/एमएनआरई द्वारा उठाई गई अधिकांश टिप्पणियों का उत्तर भी दिया गया है। कोविड –19 महामारी के कारण, एसईसीआई और एनटीपीसी दोनों द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप देने में बाधा उत्पन्न हुई। डीपीआर को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट सोलर पार्क की संस्थापना के लिए मऊ तहसील में अब तक लगभग 3005 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट सोलर पार्क संस्थापित करने के लिए भूमि के कुल क्षेत्रफल को लगभग 4000 एकड़ करने के लिए, एक या दो अन्य गांवों की भूमि की पहचान करने की भी योजना है।

चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट ने भी जुलाई, 2021 में तहसील मऊ, चित्रकूट में 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की संस्थापना के लिए सूचित किया है। डीएम, चित्रकूट ने जमीन के लीज रेंट को भी अंतिम रूप दे दिया है।

भावी दृष्टिकोणः

देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आबंटित यूएमआरईपीपी को शीघ्र चालू करना समयोचित है। कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय करते हुए, मुझे विश्वास है कि कंपनी का समर्पित और अनुभवी कर्मचारी कार्यबल उपरोक्त चरणों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

कंपनी के सतत विकास के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशने की भी आवश्यकता है। तदनुसार, टस्को लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के सहयोग से बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न जलाशयों / जल निकायों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की भी योजना बना रहा है।

आभार

टस्को के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एमएनआरई, एसईसीआई, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों का हमारे प्रयासों में उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उन सभी कृषकों, जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कृषकों को समय पर सभी भुगतान करने के लिए बैंकरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं इस अवसर पर टस्को लिमिटेड के सम्पूर्ण कर्मचारी कार्यबल को कंपनी की स्थापना और चित्रकूट में भूमि चिह्नित करने के साथ–साथ झांसी और ललितपुर में किसानों के साथ पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन के लिए उनके प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम अपने देश के निरंतर विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करना जारी रखेंगे।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं। मैं आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

शुभ कामनाओं सहित

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः08534217

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 03.09.2021

श्री आर. के. विश्नोई
अध्यक्ष

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 06.08.2021 को टस्को लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में वे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले, वे 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) थे। श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और आपको जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 34 से अधिक वर्षों का बृहद और समृद्ध अनुभव हैं। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, रूस से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माण के डिजाइन और निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम भी पूरा किया है। आपने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से अग्रणी कार्यनीतिक परिवर्तन में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। वर्तमान में आप इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आई.सी.ओ.एल.डी) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री जे. बेहेरा
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

श्री जे. बेहरा को कंपनी के निगमन के बाद से टस्को लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आप 16.08.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप वाणिज्य में स्नातक हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त और लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 31 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप पिछले तीन वर्षों से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 'मुख्य वित्तीय अधिकारी' का पद भी संभाल रहे हैं।

श्री भवानी सिंह खंगरौत
नामित निदेशक
यूपीनेडा

श्री भवानी सिंह खंगरौत को कंपनी के निगमन के बाद से टस्को लिमिटेड के बोर्ड में यूपीनेडा के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री भवानी सिंह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आपने विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। आपको वर्ष 2017 में बागपत, उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट और वर्ष 2018 में बलिया, उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, आपको उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक पर्यावरण, उत्तर प्रदेश एवं ए.पी.सी. शाखा के रूप में भी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में आप अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट 2020-21

और

अनुलग्नक

सं. टस्को/सीएस/एजीएम–1 दिनांकः 03.09.2021

सूचना

एतत द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टस्को लिमिटेड के सदस्यों की पहली वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 03 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 12:00 बजे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश – 249201 में की जानी निर्धारित हैः

सामान्य कार्य–संव्यवहार

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की दारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का संज्ञान लेना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

"टसको लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक, डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी, जीएफ–2, एकता अपार्टमेंट, 125 चंद्रलोक, अलीगंज, लखनऊ – 226024, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है, के वर्ष 2020–21 के लिए पारिश्रमिक को 2,00,000/– रूपये, (+कर अतिरिक्त) यथालागू कर अनुमोदित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 2,00,000/– रुपये, (+कर अतिरिक्त) यथालागू कर, नियत किया जाए"

विशेष कार्य–संव्यवहार

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

1. संदत्त पूंजी और विबंध आरक्षिति से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करनाः

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियमों और शर्तों पर और प्रतिभूति के साथ या बिना, जैसा कि निदेशक मंडल ठीक समझे, जो कंपनी की संदत्त पूंजी और उसके विबंध आरक्षित निधि और शेयर प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो सकती है, समय–समय पर किसी भी राशि या राशियों को उधार लेने के लिए सदस्यों की सहमति है और दी जाती है, बशर्ते कि , अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों, यदि कोई हो, के अलावा, बोर्ड द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय टस्को लिमिटेड की संदत्त पूंजी और विबंध आरक्षित निधि और शेयर प्रीमियम से 200 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

टस्को लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
एम–9044796670

सेवा में :

- टस्को लिमिटेड के सभी शेयरधारक
- टस्को लिमिटेड के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 03.09.2021

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथा–अपेक्षित समय से कम समय का नोटिस देकर बैठक बुलाई गई है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
2. नोटिस में संदर्भित संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में और बैठक के स्थान पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

2. विशेष कार्य–संव्यवहार की मद संख्या 1 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण।

एनटीपीसी द्वारा तैयार 600 मेगावाट ललितपुर सोलर पार्क और 600 मेगावाट झांसी सोलर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट टस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा प्राप्त की गई और अनुमोदित कर दी गई है। डीपीआर के अनुसार, ललितपुर और झांसी की परियोजना लागत और लागत के वित्तपोषण के स्रोतों की गणना निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	ललितपुर	झांसी	टिप्पणियां
1	कुल परियोजना लागत	371.23	313.88	
2	घटाएं: वसूलनीय भूमि प्रभार	45	64.95	25 वर्ष के लिए वार्षिक प्रभार एनपीवी के आधार पर लिए गए हैं
3	निवल परियोजना लागत	326.23	248.93	
4	वित्तपोषण के स्रोत			
	क) एमएनआरई से सीएफए	111.37	94.16	
	ख) डेवलेपर से ओडीई	90	60	
	ग) इक्विटी	20	20	
	घ) ऋण	104.86	74.77	
	कुल	326.23	248.93	

दोनों परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये की इक्विटी 74:26 के अनुपात में क्रमशः टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा द्वारा साझा की जाएगी।

182 करोड़ रुपये के ऋण वित्तपोषण का अनुमान है। पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के अलावा, कंपनी को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और अन्य सामान्य कार्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता होती है। 200 करोड़ रुपये ऋण लेने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए परियोजना का अनुमानित व्यय 170.52 करोड़ रुपये है। व्यय के वित्तपोषण का तात्कालिक स्रोत केवल एमएनआरई से सीएफए, इक्विटी और ऋण है। बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डेवलपर्स से एक बारगी विकास शुल्क (अपफ्रंट शुल्क) प्राप्त किया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 4 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में 1200 मेगावाट ललितपुर और झांसी सोलर पार्कों की परियोजना गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए 200 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

विशेष संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियमों और शर्तों पर और प्रतिभूति के साथ या बिना, जैसा कि निदेशक मंडल ठीक समझे, जो कंपनी की संदत्त पूंजी और उसके विर्बंध आरक्षित निधि और शेयर प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो सकती है, समय–समय पर किसी भी राशि या राशियों को उधार लेने के लिए सदस्यों की सहमति है और दी जाती है, बशर्ते कि , अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों, यदि कोई हो, के अलावा, बोर्ड द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय टस्को लिमिटेड की संदत्त पूंजी और विर्बंध आरक्षित निधि और शेयर प्रीमियम से 200 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

इस संकल्प में किसी भी निदेशक का हित नहीं हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के कार्यकरण पर पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य के एक सरकारी संगठन के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 06.08. 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके बाद, वर्ष 2020 में 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक संदत्त पूंजी के साथ टस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और यूपीनेडा की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ, 12 सितंबर, 2020 को कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में चौथी मंजिल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, (यूपी) – 226010 में स्थित है।

परियोजनाएं

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य में एसपीवी (अर्थात टस्को लिमिटेड) के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा सौर विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) विकसित करने के लिए आवंटित किया है। विकसित की जाने वाली यूएमआरईपीपी की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। इन यूएमआरईपीपी को एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) योजना के मोड–8 के तहत विकसित किया जाना है। योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए भूमि की पहचान और अधिग्रहण में सहायता प्रदान करेगी।
- यूएमआरईपीपी के लिए भूमि इस शर्त के साथ आवंटित की जाएगी कि विकास दो वर्षों (अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए विस्तार के प्रावधान के साथ) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को परियोजना की संपूर्ण पीपीए अवधि के लिए यूएमआरईपीपी में परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली विद्युत के 0.05 रुपये / यूनिट के सुविधा शुल्क का भुगतान (बशर्ते कि विद्युत का निर्यात यूएमआरईपीपी से राज्य के बाहर किया जाए) किया जाएगा।
- एसपीपीडी को 20 लाख रुपये/मेगावाट या यूएमआरईपीपी के विकास की लागत का 30%, जो भी कम हो, की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी।
- यदि एसपीपीडी के पास ट्रेडिंग लाइसेंस है, तो एसपीपीडी 0.07 रूपये/यूनिट के मार्जिन का दावा करने का हकदार होगा।

सौर पार्कों में परियोजना गतिविधियों में या तो निःशुल्क या भुगतान के आधार पर ग्राम सभा/सरकार और किसानों की निजी भूमि से भूमि का अधिग्रहण शामिल है। किसानों से जमीन या तो खरीदी जाएगी या लीज के आधार पर ली जाएगी।

सोलर पार्क में अन्य गतिविधियों में बाड़ लगाना, गेट, पार्क के अंदर सड़कें, जल निकासी योजना, विभिन्न बिंदुओं / स्थानों पर पानी की व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, गोदाम, प्रशिक्षण केंद्र, सड़क पर आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, निकटतम राजमार्गों/सड़कों से पार्क के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है। उपरोक्त के अलावा, सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) को पूलिंग सब–स्टेशनों और आंतरिक विद्युत पारेषण लाइनों के विकास सहित पास के ग्रिड सब–स्टेशन में विद्युत निकासी करनी है।
सौर ऊर्जा पार्कों का विवरण इस प्रकार है:

झांसी सौर विद्युत पार्क (जेएसपीपी), झांसी

झांसी में 600 मेगावाट की यूएमआरईपीपी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की तहसील गरौठा में स्थापित करने की योजना है। डीएम, झांसी ने गरौठा तहसील, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की है।

डीएम झांसी के परामर्श से किसान भूमि के लीज रेंट को 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि दर के साथ अंतिम रूप दिया गया है।

झांसी सोलर पावर पार्क के अधिग्रहण के लिए लक्षित भूमि 3000 एकड़ है, जो एमएनआरई की मंजूरी के अनुरूप है।

गरौठा तहसील में सौर पार्क के विकास के लिए जमीनी स्तर पर 3023.009 एकड़ (निजी भूमि– 2780.682 एकड़ और सरकारी/ग्राम सभा भूमि– 242.327 एकड़) भूमि की पहचान की गई है।

अब तक 2575.415 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 1274 किसानों से हस्ताक्षरित सहमति पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। शेष सहमति पत्र/ईओआई 131 किसानों से प्रतीक्षित हैं, जिनके पास 205.267 एकड़ भूमि है।

दिनांक 29.06.2021 से पट्टा विलेख (लीज डीड) पर हस्ताक्षर और किसानों के साथ पट्टा विलेख (लीज डीड) के पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 26.08.2021 तक किसानों के साथ कुल 427 पट्टा विलेख (लीज डीड) समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यूएमआरईपीपी झांसी के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आईआईटी, रुड़की द्वारा पूरा कर लिया गया है। भू–तकनीकी जांच (मृदा जांच) मेसर्स सेनजर्स जियोटेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरी कर ली गई है।

परियोजना की डीपीआर को सलाहकार एनटीपीसी के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है और 12.03.2021 को एमएनआरई/एसईसीआई को प्रस्तुत किया गया है। एमएनआरई/एसईसीआई की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, अद्यतन डीपीआर भी 10.05.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

विद्युत निकासी के संबंध में, एमएनआरई ने सूचित किया है कि 4000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर– II (जीईसी–द्वितीय) का विकास विचाराधीन है और टस्को के ललितपुर और झांसी स्थित दोनों सौर पार्क प्रस्ताव में शामिल हैं। यूपीपीटीसीएल ने ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए अपने सैद्धांतिक समझौते की भी सूचना दी है।

डीपीआर के अनुसार, परियोजना की लागत 313.88 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रस्तावित वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार है।

विवरण	राशि (रूपये करोड़ में)
इक्विटी द्वारा वित्तपोषण	20.00
एमएनआरई से सीएफए	94.16
एसपीडी द्वारा एकमुश्त भुगतान	60.00
ऋण	74.77

ललितपुर सौर विद्युत पार्क (एलएसपीपी), ललितपुर

ललितपुर में 600 मेगावाट की यूएमआरईपीपी को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में स्थापित करने की योजना है। डीएम, ललितपुर ने तालबेहट तहसील, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की है।

ललितपुर सोलर पावर पार्क के अधिग्रहण के लिए लक्षित भूमि 3000 एकड़ है जो एमएनआरई के अनुमोदन के अनुरूप है। तालबेहट तहसील में सोलर पार्क के विकास के लिए जमीन स्तर पर चिन्हित की गई भूमि 2799.73 एकड़ (निजी भूमि – 1823.01 एकड़ और सरकारी / ग्राम सभा भूमि – 976.72 एकड़) है।

डीएम ललितपुर के परामर्श से किसान भूमि के लीज रेंट को 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि दर के साथ अंतिम रूप दिया गया है, जो निजी भूमि की खरीद के लिए देय है।
अब तक 1327 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 885 किसानों से हस्ताक्षरित सहमित पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। शेष सहमति पत्र/ईओआई 355 किसानों से प्रतीक्षित हैं, जिनके पास 496.22 एकड़ भूमि है।

दिनांक 29.07.2021 से पट्टा विलेख (लीज डीड) पर हस्ताक्षर करना प्रारंभ हो गया था। 26.08.2021 तक किसानों के साथ कुल 123 पट्टा विलेख (लीज डीड) समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएमआरईपीपी झांसी के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आईआईटी रुड़की द्वारा पूरा कर लिया गया है। भू–तकनीकी जांच (मृदा जांच) मेसर्स सेनजर्स जियोटेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरी कर ली गई है।

परियोजना की डीपीआर को सलाहकार एनटीपीसी के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है और 19.03.2021 को एमएनआरई/एसईसीआई को प्रस्तुत किया गया है। एमएनआरई/एसईसीआई की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, अद्यतन डीपीआर भी 13.05.2021 को प्रस्तुत किया गया है।
विद्युत निकासी के संबंध में, एमएनआरई ने सूचित किया है कि 4000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर– II (जीईसी–द्वितीय) का विकास विचाराधीन है और टस्को के ललितपुर और झांसी स्थित दोनों सौर पार्क प्रस्ताव में शामिल हैं। यूपीपीटीसीएल ने ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए अपने सैद्धांतिक समझौते की भी सूचना दी है।

डीपीआर के अनुसार, परियोजना की लागत 371.23 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रस्तावित वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार है।

विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
इक्विटी द्वारा वित्तपोषण	20.00
एमएनआरई से सीएफए	111.37
एसपीडी द्वारा एकमुश्त भुगतान	90.00
ऋण	104.86

चित्रकूट सौर विद्युत पार्क (सीएसपीपी), चित्रकूट

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए एमएनआरई द्वारा दिनांक 18.08.2021 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में चित्रकूट की मऊ तहसील के गहूर, कटैया दांडी, मनका छतैनी और खरगदाहा नाम के 4 गांवों में सोलर पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गई है. अब तक कुल 3005 एकड़ भूमि (निजी भूमि–2175 एकड़ और सरकारी भूमि–830 एकड़) की पहचान की जा चुकी है।

अब तक, किसानों के साथ कुल 170 ईओआई पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना करने के लिए कुल भूमि क्षेत्रफल को लगभग 4000 एकड़ करने के लिए दो अन्य गांवों की भूमि की भी पहचान की गई है।

डीएम, चित्रकूट ने संयंत्र की स्थापना के लिए टस्को को लीज के आधार पर प्रदान की गई भूमि के प्रति किसानों को देय प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि के साथ 14000 रुपये/एकड़/वर्ष के लीज रेंट को अंतिम रूप दिया है।

अन्य चिन्हित स्थानों की स्थिति – प्रयागराज जिला

डीएम, प्रयागराज के सहयोग से प्रयागराज जिले की मुजा तहसील में मांडा के पास के गांवों में भूमि की पहचान की जा रही है।

वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष
टर्नओवर	–
कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी)	(34.51)
घटाएं: वित्तीय प्रभार	–
मूल्यह्रास / परिशोधन से पहले लाभ / हानि (पीबीडीटी)	(34.51)
घटाएं: मूल्यह्रास	–
कराधान से पहले निवल लाभ / हानि (पीबीटी)	(34.51)
कर	8.52
कराधान के बाद लाभ / हानि (पीएटी)	(25.99)
प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान	–
लाभांश कर	–
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(25.99)

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

राजस्व मॉडल

कंपनी के लिए राजस्व, आबंटन के समय एकमुश्त विकास व्यय (ओडीई) के अतिरिक्त सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक शुल्क के कारण होगा।

पूंजी संरचना और लाभांश

शेयर पूंजी:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है। कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान कंपनी ने टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए को क्रमशः 74:26 के अनुपात में 10 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

लाभांश:

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया है क्योंकि कंपनी अभी तक कार्यशील नहीं है और वित्त वर्ष 2020–21 में कोई राजस्व सृजन शुरू नहीं हुआ है।

आरक्षित निधियों और अधिशेष का अंतरण

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी को 25.99 लाख रूपये की हानि हुई है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स डीएस शुक्ला एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जीएफ –2, एकता अपार्टमेंट 125– चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ– 226024 को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथा अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2021–22 में सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के निर्धारण के प्रस्ताव को आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार के लिए रखा जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्तियां नहीं है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के निगमन की तारीख अर्थात् 12.09.2020 से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में 'एनआरसी' जारी की हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वापूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

12 सितंबर 2020 (कंपनी के निगमन की तारीख) से 31 मार्च 2021 तक आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठक की तारीख
1.	01	08.10.2020
2.	02	28.01.2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, धारित अन्य निदेशक पद / समिति में धारित पद की संख्या का विवरण

क्रम सं.	निदेशक	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड के बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य / शेयर धारक
1.	श्री आर. के. विश्नोई अध्यक्ष (06.08.2021 से)	2	2	1	1 (06.08.2021 से)	1
2.	श्री जे. बेहेरा नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल	2	2	1	–	1
3.	श्री भवानी सिंह खंगारौत, नामिती निदेशक, यूपीनेडा	2	2	1	–	–
4.	श्री डी. वी. सिंह अध्यक्ष (30.04.2021 तक)	2	2	1	1 (30.04.2021)	–
5.	श्री विजय गोयल अध्यक्ष (01.05.2021 से 05.08.2021 तक)	–	–	1	1	–

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(iii) के साथ पठित धारा 134(3)(थ) के अनुसार वर्ष के दौरान निदेशकों / केएमपी की नियुक्ति / त्यागपत्र का विवरण।

टस्को लिमिटेड में निदेशक और केएमपी की नियुक्ति और सेवा समाप्ति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति / सेवा समाप्ति	नियुक्ति / सेवा समाप्ति की तारीख
निदेशक			
1.	श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष	नियुक्ति	08.10.2020
2.	श्री आर.के. विश्नोई,	नियुक्ति	12.09.2020
3.	श्री जे. बेहेरा	नियुक्ति	12.09.2020
4.	श्री भवानी सिंह खंगरौत	नियुक्ति	12.09.2020
5.	श्री डी.वी. सिंह	सेवा समाप्ति	30.04.2021
6.	श्री विजय गोयल	नियुक्ति	01.05.2021
7.	श्री विजय गोयल	सेवा समाप्ति	05.08.2021

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टस्को निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिद्दिष्ट किए हैं।

क्रम सं.	केएमपी का नाम	नियुक्ति / सेवा समाप्ति	नियुक्ति / सेवा समाप्ति की तारीख
1.	श्री शैलेन्द्र सिंह, सीईओ, टस्को लिमिटेड	नियुक्ति	08.10.2020
2.	श्री के.के. श्रीवास्तव, सीएफओ, टस्को लिमिटेड	नियुक्ति	08.10.2020
3.	श्री हिमांशु बाजपेयी, कंपनी सचिव, टस्को लिमिटेड	नियुक्ति	08.10.2020

कर्मचारियों की जानकारी

चूंकि कंपनी का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है, अतः जानकारी शून्य है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और समझौते

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी–2 में किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के तहत अपेक्षित है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

वर्ष के लिए सूचना शून्य है क्योंकि परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई मामला नहीं है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी का निगमन 12.09.2020 को हुआ। परियोजना की गतिविधियां अभी शुरू की जानी हैं। वर्तमान में परियोजना की डीपीआर अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है, इसलिए कंपनी की परियोजनाओं के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद जोखिम प्रबंधन नीति विकसित करने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के कारण, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार अनुलग्नक–1 में दिया गया है। वार्षिक विवरणी का वेबलिंकः www.tuscoltd.co.in

सांविधिक प्रकटीकरण

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2021 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।
2. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या संचालन में रिपोर्ट करने योग्य कोई महत्वपूर्ण खामी नहीं देखी गई थी।
3. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, हमारे प्रयासों में हमारे सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एमएनआरई, एसईसीआई, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों की ओर से प्राप्त सहयोग की हार्दिक सराहना करता है। मैं उन कृषकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

आपके निदेशक टस्को लिमिटेड के निगमन के पहले वर्ष में कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए उनकी सराहना करना चाहते हैं। इसके अलावा, हम सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हैं और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आर के विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 03.09.2021
स्थानः ऋषिकेश

प्रपत्र सं.एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में,

———:———

I.	पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे	
क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
i.	सीआईएन	यू40106यूपी2020जीओआई134504
ii.	पंजीकरण की तिथि	12.09.2020
iii.	कंपनी का नाम	टस्को लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणीध्उप श्रेणी	सरकारी कंपनी
V.	पंजीकृत कार्यालय का पता	चतुर्थ तल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Vi.	संपर्क ब्यौरे	05224047922
vii.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	असूचीबद्ध

II. कंपनी की मुख्य गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय शून्य है:

III. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनी के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम और पता	सीआईएन	धारक/सहायक एसोसिएट	धारण का प्रतिशत	वर्ग
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,	यू45203यूआर1988जीओआई009822	धारक कंपनी	74%	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(I) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
क. प्रमोटर्स								
1. भारतीय								
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	5	0.005
ख) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकारें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	99995	99995	99.995%
उप–योग क(1) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100000	100000	100%
2. विदेशी								
क) अनिवासी भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (क) (2) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग								
(क) = (क)(1) + (क)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100000	100000	100%
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग								
(1) संस्थाएं								
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक वित्तीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकारें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफआईआईएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयर होल्डर की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
झ) अन्य(उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उप–जोड़ (ख)(1) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(2) गैर संस्थाएं								
क) निकाय निगम								
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्तिगत								
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तथा कम शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (ख)(2) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अभिरक्षक द्वारा जीडी आरएस एवं एडीआरएस के लिये धारित शेयर			शून्य				शून्य	
कुल शेयर (क+ख+ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100000	100000	100%

क. प्रमोटर की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों कीं प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों कीं प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1.	टीएचडी इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	74000	74%	शून्य	100%
2.	उत्तरप्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	शून्य	शून्य	शून्य	26000	26%	शून्य	100%
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	100000	100	शून्य	100%

ख. प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड				
क	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	73996	73.996%	73996	73.996%
ग	वर्ष की समाप्ति पर (क+ख) = ग	73996	73.996%	73996	73.996%
2)	उत्तरप्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)				
क	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का आबंटन / अंतरण	25999	25.99%	25999	25.99%
ग	वर्ष की समाप्ति पर (क+ख) = ग	25999	25.99%	25999	25.99%
3)	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नामित				
क	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का आबंटन / अंतरण	04	0.004%	04	0.004%
ग	वर्ष की समाप्ति पर (क+ख) = ग	04	0.004%	04	0.004%
4)	उत्तरप्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) के नामित				
क	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का आबंटन / अंतरण	01	0.001%	01	0.001%
ग	वर्ष की समाप्ति पर (क+ख) = ग	01	0.001%	01	0.001%

IV. शीर्ष दस शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग पद्धति (निदेशकगण, प्रोमटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

V. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंग

सं. क्र.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या
1	श्री राजीव कुमार विश्नोई	00	0.0	01	0.001%
2	श्री जे. बेहेरा	00	0.0	01	0.001%
3	श्री शैलेन्द्र सिंह	00	0.0	01	0.001%

VI. ऋण ग्रस्तता

कंपनी द्वारा कोई भी प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया गया है।

VII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक या स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने किसी निदेशक को पारिश्रमिक, शुल्क या बैठक शुल्क के लिए कोई व्यय नहीं किया है। बोर्ड के सभी सदस्य केवल अंशकालिक निदेशक हैं।

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री के. के. श्रीवास्तव	कंपनी सचिव श्री हिमांशु बाजपेयी
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनिय,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	4053099 1110847	3268654 467054	1132214 84456
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वैट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – – लाभ के प्रतिशत के अनुसार – अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**5163946**	**3735708**	**1216670**

VIII. शास्तियां / दंड / दोषों में वृद्धि

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति / दंड आरोपित / वर्धित शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
वर्ष के दौरान कंपनी या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई दंड / शास्ति / अपराधों की कंपाउंडिंग नहीं की गई थी।					

फॉर्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/समझौतों सहित उसके तीसरे नियम के तहत कतिपय आर्म्स लैंथ लेन–देन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

1. संविदाओं या समझौतों या लेन–देन, जो आर्म्स लैंथ आधार पर न हो, का ब्यौरा
(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृतिः लागू नहीं
(ख) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृतिः लागू नहीं
(ग) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि : लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई होः लागू नहीं
(ङ) ऐसी संविदाओं या समझौतों या लेनदेन को निष्पादित करने का औचित्यः लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथिः लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः लागू नहीं
(ज) वह तिथि, जिस पर धारा के पहले नियम के तहत यथा अपेक्षित विशेष प्रस्ताव सामान्य बैठक में पारित किया गया थाः लागू नहीं

188 2. महत्वपूर्ण संविदा या समझौता या आर्म्स लैंथ आधार पर लेनदेन का ब्यौरा
(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृतिः लागू नहीं
(ख) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृतिः लागू नहीं
(ग) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि : लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई होः लागू नहीं
(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथिः लागू नहीं
(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः लागू नहीं

इंड–एएस –24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21.3 में किया गया है।

टस्को लिमिटेड
31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लाख में (₹)	
परिसंपत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2		19.03
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		640.60
(ग) अन्य अमूर्त संपत्तियां	2		2.27
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		32.76
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश			-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ऋण			-
(ii) अग्रिम	-		-
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		8.52
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां			-
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	-		
2. चालू परिसंपत्तियां			
(क) माल सूची			-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यापार			-
(ii) नगदी तथा नगदी समकक्ष	5	722.30	
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष		-	-
(iv) ऋण		-	-
(v) अग्रिम	6	0.18	
(vi) अन्य		-	722.48
(ग) चालू कर संपत्तियां (निवल)	7		1.50
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8		0.31
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष			-
कुल योग			**1427.47**
इक्विटी एवं देयताएं			
1. इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9		1000.00
(ख) अन्य इक्विटी	10		(25.99)
कुल इक्विटी			974.01

2. गैर चालू देनदारियां			
क) वित्तीय देनदारियां			
(i) ऋण	11	27.68	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां			27.68
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	–	–	
ग) प्रावधान	–	–	
3. चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां	–	–	
i) ऋण			
ii) व्यापार देयताएं			
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं			
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं			
(iii) अन्य	12	415.10	415.10
(ख) अन्य चालू देनदारियां	13	–	8.47
(ग) प्रावधान	14	–	2.21
(क) चालू कर देनदारियां (निवल)			
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष			
कुलयोग			1427.47
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	20		
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां	21		

1 से 21 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(विजय गोयल)	(शैलेन्द्र सिंह)	(के के श्रीवास्तव)	(हिमांशु बाजपेयी)
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएनः 08073656			सदस्यता सं. 53310

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021
स्थान : लखनऊ

टस्को लिमिटेड

12 सितम्बर, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाख में (₹)
आय		
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व		-
अन्य आय	16	7.86
कुल राजस्व		**7.86**
व्यय		
कर्मचारी लाभ व्यय		-
वित्त लागत		-
मूल्य ह्रास और परिशोधन		-
उत्पादन प्रशासन और		
अन्य व्यय	19	42.37
कुल व्यय		**42.37**
कर पूर्व लाभ		**(34.51)**
कर व्यय		
चालू कर		
आयकर		-
आस्थगित कर (परिसंपत्ति/देयता)	4	(8.52)
कर उपरांत लाभ		**(25.99)**
I. सतत प्रचालनों से अवधि के लिये लाभ		(25.99)
II. अन्य वृहत आय		
(I) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जायेगी:		
(ii) अन्य वृहत आय		-
कुल वृहत आय **(I+II)**		**(25.99)**
सतत प्रचालनों से प्रति इक्विटी शेयर अर्जन		रूपये में (₹)
बेसिक		(25.99)
तनुकृत		(25.99)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1	
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रगटन,		
जोखिम प्रबंधन	20	
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां,	21	
1 से 21 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग है		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(विजय गोयल)	(शैलेन्द्र सिंह)	(के. के. श्रीवास्तव)	(हिमांशु बाजपेयी)
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएनः 08073656			सदस्यता सं. 53310

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021
स्थान : लखनऊ

12 सितम्बर, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
(कोष्टक में दिये गये आंकड़े कटौती को प्रदर्शित करते हैं)

विवरण		31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाख में (₹)
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ निम्नलिखित		(34.51)
के लिये समायोजनः–		
मूल्यह्रास	-	
प्रावधान	-	
वित्तीय लागत	-	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		-
-		
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(34.51)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
माल सूची	-	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्डर राजस्वघ सहित)	-	
अन्य परिसंपत्तियां	(0.49)	
ऋण और अग्रिम (चालू, गैर चालू)	(1.50)	
व्यापार देय और देनदारियां	416.72	
प्रावधान (वर्तमान, गैर चालू))	2.21	
विनियामक आस्थरगित खाता शेष में निवल संचलन	0.00	416.94
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		382.43
कारपोरेट कर		-
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**382.43**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
निम्नलिखित में परिवर्तन :-		
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(694.66)	
पूँजी अग्रिम	-	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(694.66)**

ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह

शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	1000.00	
उधारियां	-	
पट्टा संबंधी दायित्व	34.53	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	-	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	-	
वित्त गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**1034.53**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**722.30**
ड. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		-
च. अंत में नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**722.30**

नगदी तथा नगदी समकक्ष	लाख में (₹)
बैंक में शेष (आटो स्वैप सहित) – पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 6194002100000279) – 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ	722.30
कुल	**722.30**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(विजय गोयल) अध्यक्ष डीआईएन: 08073656	(शैलेन्द्र सिंह) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(के के श्रीवास्तव) मुख्य वित्तीय अधिकारी	(हिमांशु बाजपेयी) कंपनी सचिव सदस्यता सं. 53310

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021
स्थान : लखनऊ

टस्को लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		-
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		1,000.00

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

लाख में (₹)

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटित	आरक्षित एवं अधिशेष प्रतिधारित आय	अन्य वृहत आय बीमांकित लाभ / (हानि)	कुल
अथ शेष (i)	-		-	- -	
वर्ष के लिए लाभ			(25.99)	-	(25.99)
अन्य वृहत आय		-	-	-	
कुल बृहत् आय -			(25.99)	-	(25.99)
लाभांश			-		-
लाभांश पर कर			-		-
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण **(II)**			(25.99)		(25.99)
अंतशेष			(25.99)		(25.99)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(विजय गोयल) अध्यक्ष डीआईएनः 08073656	(शैलेन्द्र सिंह) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(के के श्रीवास्तव) मुख्य वित्तीय अधिकारी	(हिमांशु बाजपेयी) कंपनी सचिव सदस्यता सं. 53310

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021
स्थान : लखनऊ

टिप्पणी –1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. महत्वपूर्ण जानकारी

1.1 टस्को लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित कंपनी है और शेयरों (सीआईएनःयू40106यूपी2020जीओआई134504) द्वारा निगमित है तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और यूपीनेडा (26%) द्वारा धारित हैं। कंपनी का पंजीकृत पता – चौथा तल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226010 है। कंपनी का निगमन भारत और विदेश में सौर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, योजना, संवर्धन, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया है।

1.2 रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.2.1 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

1.2.2 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

2.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.3 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.4 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.5 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

4.1 पीपीई को प्रारंभिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत में से मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, सहित

अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

4.2 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण मरम्मत पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है।

4.4 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

4.5 भूमि जिस पर पीपी ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी ई में शामिल की जाती है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

5.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

5.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

5.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

5.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

5.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उसे राजस्व व्यय माना जाता है।

5.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान या परियोजना की कार्य अवधि, जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

5.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना

गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को सीईआरसी विनियमन के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

5.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों की लागत को प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.2 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतः प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आंकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूएनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पिक्ष मूल्यन मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्प–कालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

10.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

10.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

10.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

10.4 प्रारंभिक पहचान और मापः सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

10.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

10.6 तदन्तर मापः– प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

10.7 अमान्यता (डी रिकगनिशन) – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

11. वित्तीय देनदारियां

11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. माल–सूची

12.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

12.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार

पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके सम्बन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.3 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क् अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.4 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.5 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.6 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अधिशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.5 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.6 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव

हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

कंपनी के कर्मचारी धारक कंपनी से सेकेंडमेंट पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति–उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ स्कीम एवं अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में, कंपनी, कंपनी में प्रदान की सेवा अवधि के लिए पीएफ और पेंशन स्कीम के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के समग्र का अंशदान करती है। अन्य टर्मिनल हितलाभों के लिए, कंपनी धारक कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। वास्तविक लाभ / हानियों, यदि कोई हों, को धारक कंपनी द्वारा परिकलित किया जाता है।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थान से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके अशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने अशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त न करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थान के लिए किया जाता है।

तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।
(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और
(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा

दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पंकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पाअवधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्य ह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्य ह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्य ह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बंधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य

अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त व कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य् किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यावहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह :–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. प्रति शेयर आय

24.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्तिय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्यो से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्यार से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त् वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

25. लाभांश

25.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्यं किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

26. विविध

26.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :– 2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कमी को दर्शाते हैं)

लाख में (₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2020 के अनुसार	1 वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2021 के अनुसार	1 अप्रैल 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि के लिये	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
क– संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्र भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अस्थायी भवन ढांचे	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. सडकः पुल तथा पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ई.डी.पी. मशीनें	-	10.62	-	10.62	-	0.21	1.90	2.11	8.51
10. विद्युत संस्थापनाएं		-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 कार्यालय तथा अन्य उपकरण	-	0.62	-	0.62	-	0.03	-	0.03	0.59
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	-	10.14	-	10.14	-	0.21	-	0.21	9.93
14. वाहन		-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. हाइड्रोलिककार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग	-	21.38	-	21.38	-	0.45	1.90	2.35	19.03
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां									
1. अमूर्त परिसपत्तियां–साफ्टवेयर	-	2.36	-	2.36	-	0.09	-	0.09	2.27
उप–योग	-	2.36	-	2.36	-	0.09	-	0.09	2.27
ग.परिसपत्तियों के प्रयोग का अधिकार									
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	37.51	-	37.51	-	4.75	-	4.75	32.76
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग	-	37.51	-	37.51	-	4.75	-	4.75	32.76
कुल									54.06
मूल्य ह्रास का ब्यौरा									
ई.डी.सी को हस्तांरित मल्यह्रास					चालू वर्ष 5.29				
पी एंड एल विवरण में हस्तांरित मल्यह्रास					–				
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्य ह्रास किया गया				-	0.14				

टिप्पणी :–3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

लाख में ₹ (₹)

			(For the Year ended 31st March 2021)			
विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान समायोजन	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य						
सड़क– पुल तथा पुलिया						
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी						
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी						
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवेज,						
जलमार्ग, वियर्स, सर्विस द्वारा तथा						
अन्य जलीय कार्य						
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र						
उपकरण						
अन्य						
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		0	182.48	0	0	182.48
निर्माण के दौरान व्यय	15	0	458.12	0	0	458.12
कुल योग		-	640.60	-	-	640.60
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		0	0	0	0	0

टिप्पणी – 4
आस्थगित कर परिसंपत्ति

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति*		8.52
कुल		8.52
*'लेखा संबंधी टिप्पणियां संख्या (21) लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां (उप–बिंदु 5) के अनुसार		

टिप्पणी – 5
नगदी व नगदी समकक्ष

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
नगदी व नगदी समकक्ष		
बैंक में शेष (आटो स्वैप सहित) – पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 619400210000027) – 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ पास में चेक, ड्राफ्ट्स - कुल योग		 722.30 722.30

टिप्पणी :- 6
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

राशि (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु (या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम) कर्मचारियों को अन्य को जमा प्रतिभूति जमा अन्यि जमा		 0.18 -
कुल योग		0.18

टिप्पणीः– 7
चालू कर संपत्तियां (निवल)

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
जमा किया गया कर बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस 0.59 अग्रिम कर 0.91		1.50
कुल		**1.50**

टिप्पणीः– 8
अन्य चालू संपत्तियां

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
पूर्व भुगतान व्यय उपार्जित ब्याज निपटान के लिये धारित बीईआर परिसंपत्तियां उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत		- - - -
उप–योग		-
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) कर्मचारियों को अन्य को		0.31 -
उप योग – अन्य अग्रिम		**0.31**
कुल योग		**0.31**

टिप्पणीः– 9
शेयर पूंजी

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
		शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत 1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		5,00,000	5,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी		1,00,000	1,000.00
1000/–रूपये प्रत्येक के पूर्व संदत्त इक्विटी शेयर			
कुल योग		**1,00,000**	**1,000.00**

टिप्पणीः– 9.1
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक I. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		74,000	74
II. यूपीनेडा		26,000	26
कुल योग		**1,00,000**	**100**

टिप्पणी 9. 2
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	लाख में (₹)
आदि		0	-
जारी		1,00,000	1,000.00
अंत		**1,00,000**	**1,000.00**

नोटः कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणीः– 10
अन्य इक्विटी

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			-
प्रतिधारित आय			(25.99)
अन्य व्यापक आय		-	
कुल योग			**(25.99)**

टिप्पणीः– 11

गैर –चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
पट्टा दायित्व		
अप्रतिभूत		34.53
कुल		**34.53**
घटाएं		
वर्तमान परिपक्वताएं:		
पट्टा दायित्व अप्रतिभूत		6.85
कुल		**27.68**

टिप्पणीः– 12

चालू वित्तीय देनदारियां – अन्य

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता		
क. पट्टा दायित्वोंप की वर्तमान परिपक्वमता–		
अप्रतिभूत		6.85
कुल योग		**6.85**
देनदारियां		
व्यय के लिए		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		11.73
अन्य के लिए		
–कार्य पूंजी के लिए विविध क्रेडिटर 20.74		
– सेवा पूंजी के लिए विविध क्रेडिटर 2.70		
– धारक कंपनी को देय 3,55.89		
– कर्मचारियों के लिए विविध क्रेडिटर 0.15		379.48
		391.21
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		17.04
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूत		
जमा/प्रतिधारण राशि	-	17.04
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत		
जमा/प्रतिधारण राशि		-
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं		-
कुल योग		**408.25**
कुल देनदानियां		**415.10**

टिप्पणी :– 13
अन्य चालू देयताएँ

लाख में (₹)

विवरण		टिप्पणी संख्या		31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
देयताएं				
अन्य देयताएं				8.47
- वेतन से अन्य प्राप्तियां	0.15			
- आयकर टीडीएस देय	7.78			
- जीएसटी टीडीएस	0.28			
- सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी (वापिसी प्रभार)	0.26			
कुलयोग				**8.47**

टिप्पणी :– 14
चालू प्रावधान
(कोष्टक में दिये गये आंकडे कमी से संबंधित है।)

लाख में (₹)

विवरण				31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये		
	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
I. कार्य		-	-	-	-	-
II. कर्मचारियों से संबंधित		-	-	-	-	-
III. अन्य		-	2.21	-	-	2.21
- सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय शुल्क						
कुलयोग		-	**2.21**	-	-	**2.21**

टिप्पणीः– 15
निर्माण के दौरान व्यय

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
व्यय			
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	17		
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		335.56	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		14.74	
पेंशन निधि		10.46	
उपदान		10.69	
कल्याण		12.75	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			384.20
अन्य व्यय	19		
किराया			
कार्यालय हेतु किराया		-	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		4.62	4.62
दर एवं कर		-	
विद्युत एवं ईंधन			0.71
बीमा			0.01
संचार			2.01
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
संयत्र एवं मशीनरी		-	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		-	
भवन		-	
अन्य		0.65	0.65
यात्रा एवं वाहन			6.52
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			18.09
अन्य सामान्य व्यय			32.98
ब्याज अन्य			3.28
मूल्यह्रास	2		5.29
कुल व्यय (क)			**458.36**
प्राप्तियां			
अन्य आय			
ब्याज			
किराया प्राप्तियां	16		0.23
विविध प्राप्तियां	16		0.01
कुल प्राप्तियां (ख)			0.24
कराधान से पूर्व निवल व्यय			458.12

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
कराधान के लिए प्रावधान			-
कराधान सहित निवल व्यय			**458.12**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			-
कुल ईडीसी			**458.12**
घटाएं : ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति आबंटित अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।			 - -
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**458.12**

टिप्पणी :– 16
अन्य आय

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
ब्याज			
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस 58,943.00 रूपये शामिल हैं)		7.86	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		-	
अन्य – बैंक से ब्याज		-	7.86
किराया प्राप्तियां			0.23
विविध प्राप्तियां			0.01
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमाध्प्रतिधारण राशि			-
कुलयोग			8.10
घटाएं :			
ईडीसी को अंतरित	15		0.24
कुलयोग			7.86

टिप्पणी:– 17
कर्मचारी हितलाभ व्यय

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			335.56
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			14.74
पेंशन निधि		10.46	
उपदान			10.69
कल्याण व्यय		12.75	
आस्थगित कर्मचारी लागत की परिशोधन व्यय			-
कुलयोग			384.20
घटाएं :			
ईडीसी को अंतरित	15		384.20
कुल योग			-

टिप्पणी :– 18
वित्त लागत

लाख में (₹)

वित्त लागत			
बाँडों पर ब्याज			-
घरेलू ऋणों पर ब्याज			-
विदेशी ऋणों पर ब्यापज			-
कैश क्रेडिट पर व्याय			-
एफईआरवी		-	
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			-
ब्याज अन्य*			3.28
कुल योग			**3.28**
घटाएं :			
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			3.28
कुलयोग			-

*अन्य ब्याज में पट्टा दायित्व पर ब्याज घटक शामिल है

टिप्पणी:– 19
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
किराया			
कार्यालय किराया		-	
कर्मचारी आवास किराया		4.62	4.62
दर एवं कर		-	
विद्युत एवं ईंधन			0.71
बीमा			0.01
संचार			2.01
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
संयंत्र एवं मशीनरी		-	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		-	
भवन		-	
अन्य		0.65	0.65
यात्रा एवं वाहन			6.52
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			18.09
अन्य सामान्य व्यय			32.98
लेखापरीक्षा का शुल्क			2.36
बट्टे खाते में डाले गए प्राथमिक व्यय			40.01
कुलयोग			**107.96**
घटाएं :			
ईडीसी को अंतरित	15		65.59
कुलयोग			**42.37**

20.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टस्को लिमिटेड को जोखिम हो सकता है तथा टस्को लिमिटेड कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी बैंक जमाओं से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

उन जोखिमों का प्रबंधन (शमन)

उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

कंपनी, बैंकों, जिनमें शेष एवं जमा रखे जाते हैं, का चयन करने में ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार प्रतिष्ठा और सेवा मानक तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन जैसे कारकों पर विचार करती है।

तरलता जोखिम

भावी तरलता जोखिम प्रबंधन, आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्धता बनाए रखने में निहित है।

20.2 कोविड–19

देश भर में कोविड–19 के प्रसार और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंधों के कारण, परियोजना को पूरा करने की अवधि में देरी हो सकती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कोविड–19 की दूसरी लहर द्वारा उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को चालू करने की नियत तारीख के संबंध में परियोजना को पूरा करने की अवधि में 6 माह तक के समय विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. आकस्मिक देयताएं –

1.1 निष्पादित (अग्रिमों का निवल) किए जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (पूंजी प्रतिबद्धता) शून्य रूपये हैं।

2. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने 0.83 लाख रुपये की एफडीआर ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है, इसके अलावा, टिप्पणी 12 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 0.87 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है।

3. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूपीनेडा	भारत

(ii) कार्यात्मक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष	12.09.2020 से 30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष	01.05.2021 से
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक	12.09.2020 से
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक	12.09.2020 से
5	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	08.10.2020 से
6	शैलेन्द्र सिंह	सीईओ	08.10.2020 से
7	के. के. श्रीवास्तव	सीएफओ	08.10.2020 से

(iii) कंपनी के साथ संयुक्त. नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 12.09.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है, जो इसके अधिकांश शेयरों की धारक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बंद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं की उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00 प्रतिशत)
2	यूपीनेडा	शेयर होल्डर (26.00 प्रतिशत)

(iv) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(राशि लाख रूपये में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा / संव्यवहार की प्रकृति	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एनटीपीसी	परामर्शी सेवा – डीपीआर	112.10
यूपीनेडा	संदत्त कार्यालय पट्टा किराया	6.26
यूपीनेडा	संदत्त विविध व्यय	0.40
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	टस्को लिमिटेड की ओर से 31.03.2021 तक व्यय के कारण देय राशि	355.89
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में टस्को लिमिटेड के पंजीकरण के लिए प्रदत्त राशि	39.83
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि जैसे सांविधिक देयों का भुगतान	30.20

(v) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य् हित लाभ और व्यय 121.08 लाख रूपये है।

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
1	अल्प कालिक कर्मचारी हित लाभ	112.20
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	8.88
3	सेवांत लाभ	0
4	शेयर आधारित भुगतान	0
	कुलयोग	121.08

(vi) संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
देय राशि:	
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को देय	355.89
यूपीनेडा को देय	शून्य
एनटीपीसी लिमिटेड को देय	10.50

(vii) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने झांसी और ललितपुर परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को परामर्श कार्य सौंपा है।

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक एवं तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2020–21
करोपरांत निवल लाभ (लाख रूपये)	(25.99)
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	100000
प्रति शेयर आय – बेसिक	(रूपये में) (25.99)
– तनुकृत	(25.99)
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	1000

5. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एस 12 "आयकर" के अनुसरण में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 8.52 लाख रूपये की निवल वृद्धि को लाभ एवं हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

विवरण	मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (लाख रूपये में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	8.52
कुल	8.52

आस्थगित कर की गणना		(लाख रूपये में) राशि
क)	मूल्यह्रास के कारण परिसंपत्तियां	
	आईटी एक्ट के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	22.06
	बही के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	21.30
	अंतर	0.76
ख)	प्राथमिक व्ययों के कारण परिसंपत्तियां	
	भविष्य में कटौती योग्य के रूप में अनुमेय प्राथमिक व्यय	32.00
	अस्थायी अंतर	32.00
	अस्थायी अंतरों की निवल राशि	32.76
	कर की दर	26%
	आस्थगित कर परिसंपत्ति	8.52

6. सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म् और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि लाख रूपये में)

क.	किसी ठेकेदार को भुगतान करने में शेष राशि	
i)	मूल धन	11.73
ii)	उस पर ब्याज	0
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0
ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0
घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0
ड.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	0

7. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

(क) कंपनी ने इंड एएस के प्रारम्भिक अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अपनाए हैं।

(i) समान तारीख के साथ समान आर्थिक परिवेश में समान परिसंपत्तितयों के पट्टों के एक पोर्टफोलियों के लिए एकल डिस्काउंट दर लागू की।

(ii) आरम्भिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम की पट्टा अवधि पट्टों और कम मूल्य वाले पट्टों के लिए परिसंपत्ति और देयताओं के उपयोग के अधिकारी को मान्य न करने को छूट दी।

(iii) आरम्भिक अनप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मापन से आरम्भिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को अलग किया।

(iv) यदि संविदा में पट्टे का विस्तार करने या उसे समाप्त करने का विकल्प है तो पट्टा अवधि का निर्धारण करते समय दूरदर्शी दृष्टिकोण का उपयोग किया।

(ख) कंपनी ने पट्टा दायित्व और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के समकक्ष राशि के लिए 37.51 लाख रूपये मान्य किए है।

(ग) इंड एएस 116 के अंतर्गत मान्य पट्टा दायित्वों के लिए लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 8.75: है।

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

(I) निम्नमलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	0
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	37.51
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	3.28
–पट्टा देयताओं का भुगतान	6.26
अंतिम शेष	34.53
चालू	6.85
गैर चालू	27.68

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि लाख रूपये में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2021 को
3 माह या कम	1.71
3–12 माह	5.14
1–2 वर्ष	15.55
7–5 वर्ष	12.13
5 वर्ष से अधिक	0
31 मार्च, 2020 को पट्टा देयताएं	34.53

(iii) निम्नलिखित राशियों को ईडीसी में मान्य किया गया है।

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	4.75
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	3.28

(iv) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	6.26

8. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्ति और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंधन वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

9. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(राशि लाख रूपए में)

		2020–21
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.36
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021
नकदी तथा नकदी समतुल्य	11	722.30
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	0	
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	0	
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		722.30

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि लाख रुपए में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2020–21	आरम्भिक	चालू वर्ष	अंतिम शेष	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	0	1000.00	1000.00	–	टीएचडीसीआईएल से रू. 740 एवं यूपीनेडा से रू. 260
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण – पट्टा दायित्व)	0	34.53	0		
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत घटाएं – पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी	0	0	0		
भुगतान किया गया लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	0	0	0		
वित्तपोषण से निवल नकद प्रवाह	0	1034.53	0		

11. इंड एएएस 19 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी के सभी कर्मचारी धारक कंपनी–टीएचडीसीआईएल से सेकेंडमेंट के आधार पर पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति–उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्तित अनुपस्थिति शामिल हैं एवं अन्य टर्मिनल लाभ धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में हैं। कंपनी अपनी धारक कंपनी, जो इन कोषों को संबंधित न्यासों के माध्यम से अनुरक्षित करती है, के माध्यम से उपरोक्त स्कीमों में निर्धारित अंशदान करती है। तदनुसार, इन कर्मचारित हितलाभों को परिभाषित अंशदान स्कीम के रूप में माना जाता है (टिप्पणी संख्या 17 का अवलोकन करें)।

12. इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 04.06.2021 को अधिकृत कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(विजय गोयल)	(शैलेन्द्र सिंह)	(के के श्रीवास्तव)	(हिमांशु बाजपेयी)
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएनः 08073656		सदस्यता सं. 53310	

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

सदस्यगण, टस्को लिमिटेड
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार टस्को लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

मामले पर बल

अपनी राय में परिवर्तन किए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 की उप–टिप्पणी संख्या 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम तथा चालू देयताओं में प्रदर्शित राशियों सहित व्यापार/अन्य प्राप्य तथा ऋण एवं अग्रिम के खाते में दर्शाई गए शेष पुष्टि और मिलान के अध्यधीन हैं, वित्तीय विवरणों में पुष्टि और मिलान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

2) हम, कोविड–19 के प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में टिप्पणी संख्या 22 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कोविड–19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव और परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता से संबंधित अनुमानों का विवरण दिया गया है, जो महामारी की गम्भीरता और अवधि के संबंध में भावी विकासों पर निर्भर करते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों से इतर अन्य सूचनाएं और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है (परंतु इसमें स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिहिन्त अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त

हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचनाएं पढ़ते हैं और यदि हमारा पक्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और आवश्यक कार्रवाई, आवश्यकता पड़ने पर, करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी के कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणाम स्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने

के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण अनुलग्नक "क" में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत यथाअपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और विनिर्दिष्ट मामलों के आधार पर एक विवरण अनुलग्नक "ख" में दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय, में उक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तनता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "ग" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन

करें और

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

I. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 30 (1) देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि, यदि कोई हो, का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, धारा 197(16) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एफआरएनः 000773सी)

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021

स्थान : लखनऊ

यूडीआईएनः 21408990एएएबीआई1546

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित

1) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए सभी मदों को कवर करने के लिए डिजाइन की गई चरणबद्ध रीति में अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों के एक भाग का वास्तविक सत्यापन किया गया है और बही के रिकॉर्डों और वास्तविक अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया है।

(ग) कंपनी के नाम पर कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है, तथापि, पट्टे पर ली गई और वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में, पट्टा करार कंपनी के नाम पर हैं।

2) लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई माल सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

3) अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ –3 के खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः जनता से जमा राशियां स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम का अन्य कोई संगत प्रावधान और कंपनी (जमा का स्वीकरण) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं।

6) हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बनाई गई लेखा–बहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखाओं को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है।

7) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा–बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकरण और अन्य किसी महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित संविधिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2021 को बाकी नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पणष्टीकरण के आधार पर, किसी विवाद के कारण कोई आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बकाया नहीं हैं।

8) कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

9) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण लिखतों और सावधि ऋणों सहित आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(Xi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

10) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं मिली है या नहीं देखी गई है।

11) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। आदेश के खंड 3 (Xi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

12) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 4 (Xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13) हमारी राय में, संगत पक्षकारों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा यथा–अपेक्षित लागू लेखा मानकों के अनुसार, ऐसे लेन–देनों के विवरणों का वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया है।

14) प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं और अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

15) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया। तदनुसार, आदेश के खंड–3 (XV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

16) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एफआरएनः 000773सी)

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021

स्थान : लखनऊ

यूडीआईएनः 21408990एएएएबीआई1546

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

इस तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।

   कंपनी में लेखा संव्यवहार को प्रोसेस करने के लिए आईटी प्रणाली मौजूद है।

2. क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है तो ये निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होते हैं)

   लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्यतः ऋण / उधार / ब्याज आदि के संबंध में किसी छूट / बट्टा का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

3. क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया / उपयोग किया गया।

   हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने प्रमोटरों से इक्विटी पूंजी के रूप में 1000 लाख रूपये की निधियां प्राप्त की हैं, जिनका उचित हिसाब किया गया है और परियोजना के लिए उपयोग किया जा रहा है।

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एफआरएनः 000773सी)

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021

स्थान : लखनऊ

यूडीआईएनः 21408990एएएबीआई1546

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

इस तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टस्को लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2021 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं । इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरित नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो –

(1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें ।

(2) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत

लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका लोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है ।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएनः 000773सी)

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990

दिनांक : 08.06.2021
स्थान : लखनऊ
यूडीआईएनः 21408990एएएएबीआई1546

गोपनीय

संख्या.:DGA(Energy)/REP/01-09/ACs-TUSCO/2020-21/ 129

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा) का कार्यालय
नयी दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
NEW DELHI

दिनांक/ Dated: 06.07.2021

सेवा में,

अध्यक्ष
टस्को लिमिटेड
लखनऊ

विषय: 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए टस्को लिमिटेड, लखनऊ के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टस्को लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

डी. के. शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

टस्को लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टस्को लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 8 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा),
दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 जुलाई, 2021

टस्को लिमिटेड का प्रथम स्थापना दिवस समारोह, लखनऊ

ललितपुर जिले के ग्राम सरखड़ी में स्थापित होने चाले 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क की गांव वालों से चर्चा करते हुए

झांसी जनपद के ग्राम गारौठा में 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क की स्थापना के संबंध में विभिन्न ग्राम प्रधानों से वार्ता

चित्रकूट जनपद में 600 मेगावाट सोलर पावर पार्क की स्थापना के संबंध में गांव वालों से वार्ता

टस्को लिमिटेड

नोट्स

टस्को लिमिटेड की पहली वार्षिक आम बैठक 03.09.2021 को ऋषिकेश में आयोजित की गई।

TUSCO LIMITED

पताः– चौथी तल, यूपीनेडा भवन विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226010 भारत